तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज		

निगरानी/टीए/12598/2004/हनुमानगढ़
करनैलसिंह बनाम गुरदयाल कौर

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री एस0एस0 सिद्ध, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय **दिनांकः 14.11.2022**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ की अपील संख्या 52/2003 बउनवान करनैलसिंह बनाम गुरदयाल कौर में पारित आदेश दिनांक 03–07–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष एक वाद इस्तकरारहक व खाता तकसीम का वाद में अंकित विवादित आराजी के बाबत् प्रस्तुत किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 4 हरीसिंह ने इकबाल दावा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार किया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 तथा 5 ता 11 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 08–05–1984 से वादीगण का वाद एकपक्षीय डिक्री किया गया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 08–05–1984 से अप्रसन्न होकर अपीलांट करनैलसिंह की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने वकुलाय फरीकेन उपस्थित की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 03–07–2004 से अपील मियाद बाहर होने से खारिज कर दी गई। इसी आदेश दिनांक 03–07–2004 से व्यथित होकर प्रार्थियां ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– निगरानी पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए एवं निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि निगरानीधीन आदेश विधि विरूद्ध, विधिक प्रक्रिया की अवहेलना में रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के खिलाफ तथा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/12598/2004/हनुमानगढ़** **करनैलसिंह बनाम गुरदयाल कौर**		
	जो निरस्तनीय है। अपील को सिफ मियाद के बिन्दु पर निरस्त नहीं करना चाहिए और अपील को मैरिट पर भी देखना चाहिए। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश से प्रार्थीगण की अपील को मियाद बाहर मानकर गलत खारिज की है जबकि अपील को मात्र मियाद के तकनीकी बिन्दु पर खारिज न कर मैरिट पर निर्णित किया जाना चाहिए था। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में अंकित किया कि अप्रार्थियां गुरदयाल कौर ने वाद दिनांक 30-03-1984 को प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर कर आईन्दा पेशी दिनांक 09-04-1984 नियत की और जरिये सम्मन तलब करने के आदेश दिये और दिनांक 09-08-1984 को हरिसिंह ने इकबाल दावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया। प्रार्थियां करनैलसिंह कौर एवं शेष अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जबकि दूसरी तरफ विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03-07-2004 में अंकित किया कि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थियां करनैलसिंह/प्रतिवादी को दिनांक 30-03-1984 को सम्मन दिनांक 09-04-1984 को पेशी के लिए जारी हुए जिस पर प्रार्थियां ने सम्मन लेने की इन्कारी के साथ लौट आये जो कि विरोधाभाषी कथन है एवं कानून के विपरीत हैं। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने केवल मियाद के बिन्दु को ही मध्यनजर रखते हुए आदेश पारित किया है। इस तथ्य पर विवेचन नहीं किया कि प्रार्थियां का कोई मकान टिब्बी तहसील व जिला हनुमानगढ़ में नहीं है। प्रार्थियां अपने सुराल राईकाखुर्द उर्फ चक दानेवाला तहसील व जिला भटिण्डा में स्थाई रूप से निवास कर रही है जिसकी जानकारी उन्हें है। विधि विरूद्व फर्जी तामील दिखाकर आदेश पारित किया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष दावा इस्तकारहक व खाता विभाजन का है जबकि खाता तकसीम किये बिना एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। प्रार्थियां को परीक्षण न्यायालय के समक्ष, सबूत प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं मिला एवं बिना सुनवाई के ही आदेश पारित किया गया है। अन्त में प्रार्थियां की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-07-2004 निरस्त किया जाकर अपील को मैरिट पर निस्तारण के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया। उन्होंने अपने समर्थन में ए0आई0आर पेज 226 एस0सी0, 1998		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/12598/2004/हनुमानगढ़** **करनैलसिंह बनाम गुरदयाल कौर**	
	आर0आर0डी0 पेज 319 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये। 5– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी सहमति देते हुए प्रकरण को निर्णित किये जाने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने वक्त बहस लिखित बहस प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया लेकिन आदिनांक तक कोई लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई है। 6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया गया। 7– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 08–05–1984 में अंकित किया कि वाद वादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाता है। 8– विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 03–07–2004 में माना कि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील दिनांक 28–04–2003 को प्रस्तुत की जबकि एकपक्षीय निर्णय दिनांक 08–05–1984 को पारित किया गया था जो लगभग 19 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसका स्पष्टीकरण संतोषप्रद व पर्याप्त नहीं होने से अपील मियाद बाहर होने से खारिज की गई है। 9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान निगराकार/प्रार्थियां द्वारा विद्वान अपीलीय न्यायालय में अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08–05–1984 बअदालत उपजिलाधीश, हनुमानगढ़ को पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थियां को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08–05–1984 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10–04–2003 को हुई। प्रार्थियां एक नेकनियत औरतजात है। जानबूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की है बल्कि ज्ञान न होने के कारण पेश नहीं की जा सकी है। इसलिए अपील के मियाद बाहर दिनों की माफी दी जाना न्यायहित में आवश्यक है। 10– प्रार्थियां द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कारण उचित व संतोषप्रद होते हैं। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित है कि अपील लगभग 19 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसका स्पष्टीकरण संतोषप्रद व पर्याप्त नहीं मानते हैं, उचित नहीं है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थियां के कारण उचित व संतोषप्रद होने से प्रार्थियां	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/12598/2004/हनुमानगढ़** **करनैलसिंह बनाम गुरदयाल कौर**	
	द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना उचित है। 11– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थियां की निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 03–07–2004 निरस्त किया जाता है। 12– पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	